प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **124 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

किशनलाल मेघवाल पुत्र भूरालाल मेघवाल पताः गांव करणपुर, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 22/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत–उदयपुर के कार्यालय में दिनांक 25.07.2025 को प्रस्तुत की गई। अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत–उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से होने से प्रथम अपील प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 27.06.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/124/25/790–91 दिनांक 12.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर ने जरिये पत्रांकः आरटीआई/2025/903 दिनांक 16.10.2025 से इस कार्यालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करने हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील आवेदन के बिंदु संख्या 4, 5, 6 में अंकित किया है कि खातेदारों की सूची एंव पटवारी रिपोर्ट को जबरन 8(1)(जे) का हवाला देकर सूचना देने में अडंगा लगाने से जबकि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.06.2025 को अपना आवेदन पत्र क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय जयपुर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड उदयपुर के पत्रांक 424 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जिस पर अपीलार्थी को उक्त आवेदन के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/623 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा सूचित कर दिया गया। आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 में खातेदारों को मुआवजा राशि भुगतान करने के संबंध

RajKaj Ref No.:
22388694
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.22 12:57:31 IST
Reason: Approved

में है जो तृतीय पक्षकारों की होकर उनकी वित्तीय स्थिति प्रकट करने के संबंध में है, जिससे उनके हित प्रभावित होते है। उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 खण्ड 1(डी) के अंतर्गत प्रकट किये जाने से छूट है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना तृतीय पक्षकारों के संबंध में होकर उनकी व्यक्तिगत सूचना है, जिनको प्रकट करने से उनके व्यक्तिगत हित प्रभावित होते है। उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 खण्ड 1(जे) के अंतर्गत प्रकट किये जाने से छूट है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 162–ई के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि के तहत उदयपुर जिले के उपखण्ड वल्लभनगर के खातेदारों की मुआवजा राशि एवं पटवारी रिपोर्ट की सूचना चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपने पत्रांक 623 दिनांक 11.02.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(d) व 8(1)(j) के अदेय होने के संबंध में सूचित किया गया है। प्रथम दृष्टया यह कार्यालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.22 12:57:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22388694
M e-Sign